



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12082025-265358  
CG-DL-E-12082025-265358

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 495]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 8, 2025/श्रावण 17, 1947

No. 495]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 8, 2025/SHRAVANA 17, 1947

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 2025

**सा.का.नि. 539(अ).—**दिव्यांगजन अधिकार नियमावली, 2017 में संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का निम्नलिखित मसौदा, जिसे केन्द्र सरकार दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 100 की उप-धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संशोधन करने का प्रस्ताव करती है, को इससे प्रभावित होने वाले संभावित व्यक्तियों की सूचना के लिए, जैसाकि उक्त धारा की उपधारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित है, एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है, और एतद्वारा सूचित किया जाता है कि इस अधिसूचना वाले आधिकारिक राजपत्र की प्रतियां प्रकाशित होने और उसे जनता को उपलब्ध कराने की तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात उक्त मसौदा नियमों पर विचार किया जाएगा;

आपत्तियां और सुझाव, यदि कोई हो, सुश्री देबाला भट्टाचार्जी, अवर सचिव, भारत सरकार, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, कमरा नंबर 517, 5वीं मंजिल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली, 110003 को या ईमेल द्वारा [debala.joarder@gov.in](mailto:debala.joarder@gov.in) और/अथवा [policy.depwd@gmail.com](mailto:policy.depwd@gmail.com) पर भेजी जा सकती हैं;

उपरोक्त मसौदा नियमों के संबंध में, किसी भी व्यक्ति से उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के समाप्त होने से पहले प्राप्त होने वाली आपत्तियों और सुझावों पर, केन्द्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

**मसौदा नियम**

1. संक्षिप्त शीर्षक और विस्तार- (1) इन नियमों को दिव्यांगजन अधिकार (संशोधन) नियमावली, 2025 कहा जाएगा।  
(2) ये आधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
2. दिव्यांगजन अधिकार नियमावली, 2017 के नियम 22, और नियम 38 में निम्नानुसार संशोधन किया जाएगा: –
  - i. नियम 22 के उप-नियम (4) में 'रजिस्टर्ड डाक' शब्द के स्थान पर 'स्पीड पोस्ट' शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा।
  - ii. नियम 38 के उप-नियम (1) में 'रजिस्टर्ड डाक' शब्द के स्थान पर 'स्पीड पोस्ट' शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा.सं. पी-11012/1/2025-नीति]

ऋचा शंकर, उप महानिदेशक

**नोट:—**दिव्यांगजन अधिकार नियमावली, 2017 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 591(अ.), दिनांक 15 जून, 2017 के माध्यम से प्रकाशित किए गए थे और उन्हें पिछली बार सा.का.नि. 649 (अ.), दिनांक 16 अक्टूबर, 2024 द्वारा संशोधित किया गया था।

**MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT****(Department of Empowerment of Persons with Disabilities)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 4th August, 2025

**G.S.R. 539(E).**—The following draft of certain rules to amend the Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 100 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016), is hereby published as required by sub-section (1) of the said section, for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette in which this notification is published are made available to the public;

Objections and suggestions, if any, may be addressed to Ms. Debala Bhattacharjee, Under Secretary to the Government of India, Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan), Room No 517, 5th Floor, Pandit Deendayal Antyodaya Bhawan, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi, 110003 or by email at debala.joarder@gov.in and/or policy.depwd@gmail.com ;

The objections and suggestions, which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period specified above, will be considered by the Central Government.

**DRAFT RULES**

1. Short title and extent.- (1) These rules may be called the Rights of Persons with Disabilities (Amendment) Rules, 2025.  
(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
2. The Rule 22, and Rule 38 of the Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017, shall be amended as under:-
  - i. In sub-rule (4) of Rule 22 for the word 'registered post', the word 'Speed Post' shall be substituted.
  - ii. In sub-rule (1) of Rule 38 for the word 'registered post', the word 'Speed Post' shall be substituted.

[F. No. P-11012/1/2025-Policy]

RICHA SHANKER, Deputy Director General

**Note:—**The Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) vide notification number G.S.R. 591 (E), dated the 15th June, 2017 and was last amended vide G.S.R. 649 (E), dated the 16th October, 2024.